FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत--जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

लड्डो बनाम कजोड वगै0

किस्म मुकदमा- प्रा0पत्र स्थगन नम्बर----11------सन्- 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.1.2026	अधिवक्ता प्रार्थी श्री सेडूराम शर्मा उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 02-12.2006 को पेश हो। जिला कलक्टर दौसा	
02.02.2026	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। दिनांक 19.1.2026 को प्रार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 व 6 एक ही परिवार के सदस्य है। वाके ग्राम रायपुर पटवार हल्का चावंडेडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नंबर 262 से 271, 300 से 304, 307 से 309, 309/421 कुल किता 19 रकबा 5.98है. स्थित है जिसकी खातेदारी पूर्व में प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 से 6 के पिता देवचन्द पुत्र श्योला जाति गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड थी। उक्त भूमि की खातेदारी देवचन्द पुत्र श्योला की मृत्यु के बाद विरासत का खोला गया नामान्तरण सं0 03 दिनांक 2.6.1989 नायब तहसीलदार दौसा के आधार पर संपूर्ण उत्तराधिकारी वारिसान को खातेदारी अधिकार न देकर मिलीभगत करके उक्त भूमि के हिस्से में देवचन्द के स्थान पर अप्रार्थी सं0 1 से 6 ने अपने नाम खातेदारी प्राप्त कर ली। देवचन्द पुत्र श्योला प्रार्थिया का पिता था तथा प्रार्थिया मृतक देवचन्द पुत्र श्योला की जाईन्दा पुत्री है तथा अपने पिता की भूमि में प्रार्थिया का कानूनन बराबर हिस्सा की खातेदार है। तथा प्रार्थिया का उक्त भूमि में विधिवत 1/7 हिस्सा बनता है। परन्तु अप्रार्थी सं0 1 से 6 ने व प्रार्थिया की माता तुलसा ने चुपचाप तरीके से विरासत का नामान्तरण अवैधानिक तरीके से पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों से साज करके अपने नाम तस्दीक करा लिया जबकि अधीनस्थ नायब तहसीलदार व तहसीलदार को नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक के समस्त वारिसान के संबंध में पूर्ण जांच कर नामान्तरण तस्दीक करना चाहिए था। प्रार्थिया मृतक देवचन्द पुत्र श्योला की जाईन्दा पुत्री है तथा अपने पिता की भूमि में प्रार्थिया का कानूनन बराबर हिस्सा की खातेदार है परन्तु अप्रार्थीगण ने चुपचाप से ही विरासत का नामान्तरण अपने नाम तस्दीक करा लिया जो गैर कानूनी है व प्रथम स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि उक्त भूमि में प्रार्थिया का भी विधिवत रूप से 1/7 हिस्सा बनता है। तथा अप्रार्थी कजोड व रामसिंह ने अवैधानिक तरीके से 1/6 हिस्सा की भूमि का बेचान अप्रार्थी सं0 7 व 8 को रजिस्टर्ड विकय पत्र के कर दिया है। उक्त विकय पत्र अवैधानिक है क्योंकि रामसिंह व कजोड का हिस्सा 2/6 बनता ही नहीं है बल्कि [illegible] हिस्सा 2/7 हिस्सा बनता है। इसलिए कथत अवैचारिक [illegible] शून्य व निष्प्रभावी है। अपील माननीय न्यायालय में पेश करने के बाद से अप्रार्थीगण प्रार्थिया को लगातार धमकी देते चले आ दरहे है तथा प्रार्थिया को कब्जा से बेदखल करने आमादा हो रहे है। दिनांक 2.1.2026 को प्रार्थिया [illegible] उक्त वर्णित भूमि पर [illegible] फसल की देखरेख कर रही थी तो अप्रार्थीगण वहॉ अपने साथ 3-4 लोगों को साथ लाये और जबरन प्रार्थिया को अपनी भूमि को खाली करने को आमादा हो गये तो वहॉ के आस पासा के लोगों ने काफी समझाने पर वहॉ से चले गये लेकिन जाते जाते एलानियां धमकी देकर गये कि हम एक दो रोज में मौका पाकर प्रार्थिया को	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.02.20 10:44:39 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा करेंगे। यदि प्रार्थिया अप्रार्थीगण को कब्जा नहीं करने देगी तो किसी दीगर लाठी वाले व्यक्ति को बेचान कर प्रार्थिया को बेदखल करेंगे। जिससे प्रार्थिया के अधिकारों को अपूरणीय क्षति की सूरत है। यदि अप्रार्थीगण को ताफैसला अपील जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थिया के हिस्से की भूमि पर जबरन नाजायज कब्जा कर लिया जायेगा और प्रार्थिया कारे अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी तथा प्रार्थिया बरबाद हो जायेगी। उपरोक्त समस्त तथ्यों से प्रार्थिया का प्रथम दृष्ट्या केस स्पष्ट प्रमाणित है व सुविधा सन्तुलन की तुला भी प्रार्थिया के पक्ष में है। अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम रायपुर पटवार हल्का चावंडेडा तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नंबर 262 से 267, 435/268, 269, 437/270 कुल किता 9 रकबा 3.3759है. व खसरा नंबर 271, 434/268, 436/270 कुल किता 3 रकबा 0.6750है. खसरा नंबर 300 से 304, 307 से 309, 309/421 कुल किता 9 रकबा 1.93है. का हि. 1/7 हिस्से की भूमि का अवैध व प्रभावशून्य तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 13.6.2008 तथा दिनांक 19.3.2007 के आधार पर अप्रार्थी सं0 7 से 9 प्रार्थीगण को उक्त भूमि में से अपने हिस्से की भूमि में किसी प्रकार के कब्जे कायश्त करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा अप्रार्थीगण सं0 1 से 8 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थिया के हिस्से 1/7 के कब्जे काश्त में स्वयं, अपने रिश्तेदारों, ऐजेन्टों, नौकरों से कोई दखलन्दाजी न स्वयं करे न करावें एवं उक्त भूमि का किसी को रहन बेचान व किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करें तथा रहन बय व हस्तान्तरण आदि नहीं करें। अप्रार्थी सं0 9 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाने की कृपा करें कि वह राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा नामान्तरण सं0 03 वाके ग्राम रायपुर जो कि नारयब तहसीलदार दौसा के द्वारा विरासत का नामान्तरण जो कि देवचन्द पुत्र श्योला के फोत होने पर खोला गया है को चुनौती दी गई है। प्रार्थिया द्वारा विरासत का नामान्तरण को अत्यधिक विलंब से अर्थात 35 वर्ष के असाधारण विलंब से चुनौती दी गई है। कानूनन नामान्तरण को 30 दिवस की अवधि में चुनौती दी जा सकती है। साथ ही उक्त भूमि के सह खातेदारों द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के माध्यम से वर्णित भूमि में से खसरा नंबर 262 से 267, 269, 435/238, 437/270 कुल किता 9 रकबा 3.37है. भूमि का पृथक से राजलस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र मूल अपील के संलग्न रहे। खुले न्यायालय सुनाया गया।

जिला कलक्टर दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.02.20 10:44:39 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official